न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	46/25 (2025/213)	15.01.2025	मोहनलाल व अन्य बनाम रामगिलास व अन्य	10.04.2026	1 लगायत 5

1. मोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति मीना आयु 80 साल निवासी बडौली तहसील वजीरपुर हाल चौहमहला तहसील गंगधार जिला झालाबाड़
2. दिलीप पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी बडौली हाल निवासी विक्रमढ आलोट जिला रतलाम (म0प्र0)
3. पवन पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी बडौली हाल निवासी विक्रमढ आलोट जिला रतलाम (म0प्र0)
4. प्रीतम पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी बडौली हाल निवासी विक्रमढ आलोट जिला रतलाम (म0प्र0)
5. श्यामलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी बडौली हाल निवासी विक्रमढ आलोट जिला रतलाम (म0प्र0)

–प्रार्थी (निगरानी गुजारान)

बनाम

1.. रामगिलास पुत्र श्योराम मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर।
2. मुकेश पुत्र श्योराम मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर।
3. मुन्ना पुत्र श्योराम मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर।
4. मानसिंह पुत्र श्योराम मीना निवासी बडौली तहसील वजीरपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत बडौली।
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बडौली।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री शिवचरण शर्मा ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1954

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बडौली के मिसल संख्या 5 दिनांक 29.11.2010 तहत जयबाई पत्नि स्व0 श्योराममीना को जारी पट्टा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1954 इस न्यायालय में पेश की गयी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा ग्राम पंचायत बडौली के पत्रांक 49 दिनांक 25.10.2025 , दिनांक 17.10.2025 द्वारा रिकोर्ड उपलब्ध नहीं होने का अंकन करने के स्तर पर तथा अप्रार्थी अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाने पर भी अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

2. अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि निगरानी कार की पुश्तैनी रिहाइशी बाखड, पाटौर पोश मकान ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर मे स्थित है। जिसकी सीमाये पूरब दिशा मे रामसहाय का मकान, पश्चिम मे आम रास्ता, [illegible] साती जोगी, दक्षिण मे आम रास्ता व सीताराम जी मन्दिर का चौक है। उक्त सीमाओ से वर्णित [illegible] मे निगरानीकार संख्या 1 के पिता एंव निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 के बाबा शकलाल [illegible]ता भौरया के समय से 10 गह पाटौर पोश बनी हुई है जिसमे निगरानीकार [illegible] निवास करते चले आ रहे थे। शंकरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.10 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

3. रेल्वे में नौकरी करता था जो चौहमहला मे निवास करने लग गया तथा निगरानी कार मोहनलाल एंव उसका भाई किशनलाल अर्थात निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 का पिता किशनलाल भी रेल्वे में नौकरी करने के कारण ग्राम बडौली से बाहर रहने लगे परन्तु उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति कृषि भूमि अवासीय मकान ग्राम बडौली मे ही रही है, जिन्हे निगरानीकार समय समय पर आकर संभालते रहे है। प्रार्थीगण निगरानीकारान की रिहायशी बखड से गैरनिगरानी कार संख्या 1 लगायत 4 व उनकी माता स्व. जयबाई का कोई सम्बन्ध नही रहा है। निगरानीकारान के अपनी नौकरी के कारण गांव से बाहर रहने का फायदा उठाते हुये आपस मे साज कर निगरानीकारान की पुश्तैनी बाखड एंव अन्य जायदाद को हडप करने की नियत से निगरानीकार संख्या 1 के पिता एंव अन्य निगरानीकारान के बाबा शंकरलाल को लाऔलाद फौत बताते हुये गैर निगरानीकारान ग्राम पंचायत बडौली के तत्कालीन सरपंच बाबूलाल एंव सचिव से मिलकर लाऔलाद फौत बताकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया तथा उक्त बाबूलाल की पत्नि कमला सरपंच से निगरानीकारान की पुश्तैनी बाखड का तथाकथित पत्रावली संख्या 5 फैसला दिनांक 29–11–2010 के द्वारा तथाकथित पट्टा मृतक जयबाई के नाम प्रिन्टेड फार्म पर कूटरचित बनाकर (जिसे उक्त गैरनिगरानीकारान पट्टा होने का कथन करते है) विभिन्न न्यायालयो मे उपयोग किया जा रहा है जिसका ग्राम पंचायत बडौली के रिकार्ड में इन्द्राज नही होने बावत सूचना दी गयी है। बावजूद इसके भी गैरनिगरानीकारान द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा एफ.आई.आर. नम्बर 37/2017 पुलिस थाना वजीरपुर मे एंव उसकी प्रतिलिपि दीवानी वाद संख्या 1/2017 रामसहाय बनाम रामगिलास ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी में पेश की है। परन्तु ग्राम पंचायत बडौली द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा पत्रावली संख्या 5 फैसला दिनांक 29–11–010 की नकल प्रार्थीगण/निगराकारान को नहीं दी गयी है एंव लगातार मांग किये जाने पर ऐसे पट्टे का कोई रिकार्ड नही होने बावत सूचनाये दी गयी है जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

4. ग्राम पंचायत बडौली द्वारा जयबाई पत्नि श्योराम मीना के नाम जारी तथाकथित पट्टा पत्रावली संख्या 5 दिनांक 29–11–2010 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जयबाई के नाम से प्रिन्टेड प्रोफार्मा मे जारी पट्टो पर तत्कालीन सरपंच श्रीमति कमला मीना एवम् तत्कालीन सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है जिसकी कोई विधिक प्रकिया नही अपनाई गयी है विधिक प्रावधानो की पालना की है जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत मे संधारित नही होने से सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। जयबाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण 1 लगायत 4 मृतका के पुत्र एवं वारिसान है। ग्राम पंचायत बडौली में पट्टा चाहने हेतु उसके द्वारा कोई आवेदन पेश नही किया, न ही ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखा गया है तथा आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा आपस मे साज कर फर्जी पट्टा जारी किया है। उक्त तथाकथित पट्टा 290 वर्गगज की नाप का ग्राम पंचायत के 290 वर्गगज का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। यह कि ग्राम पंचायत बडौली के रिकार्ड मे तथाकथित पट्टे के सन्दर्भ मे कोई राशि तथाकथित दिनांक 29–11–2010 को या उसके बाद जमा नही हुई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित पट्टा पर तत्कालीन सरपंच एंव सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर अपने अधिकार क्षेत्र का एंव अपनी शक्तियो का विधि विरूद्व तरीके से दुरूपयोग किया गया है ऐसी कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।तथाकथित पट्टा दिनांक 29–11–2010 के संदर्भ में ग्राम पंचायत बडौली द्वारा अखबार मे कोई उद्घोषणा नहीं की गयी न ही उजरदारी का कोई नोटिस जारी किया गया न ही ऐसा कोई नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया तथा वार्ड पंच से भी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

कब्जा रिपोर्ट भूमि बावत प्राप्त नही की है तथाकथित पट्टे पर ग्राम पंचायत कोरम के सदस्यो के या वार्ड पंचो के हस्ताक्षर भी नही है। तथाकथित पट्टे में दर्ज रिहायशी बाखड निगरानीकारान की पुश्तैनी रिहायशी बाखड रही है। निगरानीकारान के बुजुर्ग शंकरलाल एंव उनके पुत्र मोहनलाल, किशनलाल रेल्वे विभाग ने नौकरी करते थे इस कारण अपने पैतृक गांव बडौली से बाहर रहते थे। इस बात का फायदा उठाकर प्रत्यर्थीगण ने आपस मे साज कर निगरानीकारान की पैतृक जायदाद को हडप करने की नियत से उक्त तथाकथित पट्टा विधि विरूद्व तरीके से प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर तैयार किया है। पूर्व में भी उक्त लोगो ने निगरानीकार संख्या 1 के पिता एंव निगरानीकार संख्या 2 लगायत 5 के बाबा शंकरलाल को लाऔलाद फौत होना बताकर तत्कालीन सरपंच जो कमला मीना सरपंच के पति बाबूला मीना से साज कर ग्राम पंचायत बडौली से शंकरलाल का वारिस होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया व उसके आधार न्यायालय में निगरानीकारान की जमीन जायदद को अपने नाम लगवाने का प्रयास किया जिसके विरूद्व निगरानीकारान ने पुलिस थाना वजीरपुर में एआईआर दर्ज करवायी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या लगायत को दोषी मानते हुये कारावास से दण्डित किया गया है।।

5. निगरानीकारान अपनी रिहाइशी बाखड़ (तथाकथित पट्टे में दर्शित) को दिनांक 16–7–2010 को जरिये स्टाम्प रामसहाय मीना पुत्र रामफल मीना को विकय किया गया जिस पर प्रत्यर्थी/गैरनिगरानीकारान संख्या 1 लगायत 4 एवं मृतक जयबाई द्वारा दिनांक 17 एवं 18.10. 2016 को विवाद किया था जिनके विरूद्व ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी में सिविल वाद रामसहाय बनाम रामगिलास वगै0 पेश किया जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मुकदमे की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्यर्थी/गैरनिगराकार संख्या 1 रामगिलास द्वारा एफ0आई0आर0 नम्बर 37/2017 दिनांक 04.03.2017 को पुलिस थाना में दर्ज करवायी जिसमें उक्त तथाकथित पट्टा की प्रति पेश की गई। दौराने अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे की जानकारी की तो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20–3–2017 को तथाकथित पट्टे का कोई रिकार्ड नही होने की जानकारी दी। उसके पश्चात् सूचना के अधिकार के तहत रामसहाय मीना द्वारा उक्त पट्टे एंव पत्रावली संख्या 5 दिनांक 29–11–2010 की नकल प्राप्त करने का आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19–4–2017 को उक्त पट्टा का कोई रिकार्ड पंचायत मे नही होने की सूचना प्रदान की पुनः दिनांक 19–1–2018, 13–4–2018 में भी उक्त पत्रावली पट्टा की नकलो की मांग की गई परन्तु निगराकार को ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय में रिकार्ड नही होने की जानकारिया दी जाती रही जबकि निगराकार को कोई रिकार्ड पट्टा की नकल प्रदान नहीं की है। इस कारण निगराकार उक्त तथाकथित पट्टा के विरूद्व कोई कार्यवाही नही कर सका। जबकि गैरनिगराकार की ओर से उक्त तथाकथित पट्टे का कोई रिकार्ड नही होने के बावजूद दिनांक 7–10–2025 को मुकदमा नम्बर 625/2018 सरकार बनाम मोहनलाल मे बतौर पी. डब्ल्यू. 15 कमला मीना के बयान करवाये गये जिसमे उसने उक्त तथाकथित पट्टा जारी करने एवम् उस पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है। उसके पश्चात् निगराकार द्वारा पुनः नकल प्राप्ती के लिये आवेदन करवाया। परन्तु दिनांक 25–10–2025 को पुनः तथाकथित पट्टे का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत बडौली मे उपलब्ध नही होने की जानकारी दी है। जिससे निगरानीकारान व्यथित है तथा निरन्तर प्रयासो के बाद भी उक्त पत्रावली संख्या 5 एंव पट्टे की नकले प्राप्त नही कर सका है। गैरनिगरानीकार आपस मे मिले हुये है तथा गैरनिगरानीकारान संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में न्यायालयो मे पट्टा जारी होने का कथन करते है तथा अपीलार्थी के द्वारा [illegible] कथन करते इसलिये यह निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ है तथा बि[illegible]त्रावली संख्या 5 पट्टा दिनांक 29–11–2010 की निगरानी शपथ [illegible] विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीगुजार द्वारा उक्त नि[illegible]स्वीकार की ज[illegible] तथाकथित पट्टे पत्रावली संख्या 5 निर्णय दिनांक 29.11.2010 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

6. हमने पत्रावली एवं अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया । ग्राम पंचायत बडौली ने अपने पत्रांक 49 दिनांक 25.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि पूर्व रिपोर्ट के अनुसार रिकोर्ड के अभाव में पट्टा पत्रावली दिया जाना संभव नहीं है तथा दिनांक 17.10.2025 द्वारा भी यह ही अवगत कराया कि पूर्व रिपोर्ट के आधार पर रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है तथा दिनांक 20.03.2019 द्वारा संरपच ग्राम पंचायत ने थानाधिकारी पुलिस थाना को पत्र प्रेषित पत्र में अंकित है कि संबंधित पट्टा पत्रावली मुझे पूर्व संरपच द्वारा चार्ज में नहीं सम्भलाई गयी है एवं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत ने अपने पत्रांक 104 दिनांक 19.01.2018 में अंकित किया गया है कि चाहा गया रिकोर्ड पंचायत के पास उपलब्ध रिकोर्ड में नहीं होने के कारण वांछित रिकोर्ड उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत व सतीश कुमार सचीव ग्राम पंचायत ने अपने पत्रांक 42 दिनांक 19.04.2017 जो श्री रामसहाय को प्रेषित है। उसमें अंकित किया गया है कि उक्त पट्टा पत्रावली चार्ज में नहीं दी गयी है। अतः सूचना देने में असमर्थ हूँ। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी रामगिलास , मुन्नालाल, मुकेश ,मानसिंह जरिये अधिवक्ता दिनांक 15.12.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हो चुके थे तथा अप्रार्थी सं0 6 ग्राम विकास अधिकारी भी दिनांक 15.12.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हो चुके थे। दिनांक 24.03.2026 को अप्रार्थी सं0 5 संरपच ग्राम पंचायत बाबजूद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में दिनांक 15.12.2025 को प्रस्तुत होने पर भी 90 दिवस में अधिक समय होने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष को कोई दस्तावेज अथवा मूल पट्टा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Section 107C of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, deals with the grant of Patta (land title/lease) for certain lands within the Abadi (residential area) of a village.

The main provisions of Section 107C are:

Eligibility: Any person lawfully in possession of land within the Abadi area of a village, otherwise than under a Patta, lease, or license issued by the State Government or the Panchayat, may apply to the Panchayat for a Patta in the prescribed manner.

Objections: When an application is filed, the Panchayat is required to invite objections from the public generally in the prescribed manner. It must also hear all persons who file objections as well as the applicant.

Process: The process for granting the Patta, including the manner of application, inviting objections, and hearing parties, is governed by the rules prescribed under the Act, specifically referenced in court documents as Rule 157(1) of the Rajasthan Panchayati Raj Rules.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 107 –ग कतिपय भूमियों के पट्टे की मंजूरी के बिन्दु सं0 2 के तहत उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया गया है वहां पंचायत ,जन सामान्य से विहित रीति से आक्षेप आमन्त्रित करेगी और उन सभी व्यक्तियों को, जिन्होनें ऐसे आवेदन के विरूद्व आक्षेप फाईल किये है,और आवेदक को विहित रीति से सुनेगी। धारा 157 पुराने गृहों को विनियमितिकरण से संबंधित है। जिसमें व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृह हों और पंचायत से कोई पट्टा जारी करने का प्रावधान है। धारा 158 आबादी भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन से संबंधित हैं। धारा 159 भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन उक्त नियम के अर्न्तगत पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि को बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मुं0नं0 46/25 उनवान मोहनलाल व अन्य बनाम रामगिलास व अन्य

(क) धारा 167 (2) के तहत पट्टे पर संरपच और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेगे। लेकिन उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विवादित पट्टे संबधी कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं होना अंकित किया है, ऐसी स्थिती में यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अर्न्तगत सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की गई है अथवा नहीं।

(ग) **159. Allotment of lands on concessional price.-(1)The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.(2)**
बाजार दर पर निलामी की प्रकिया न अपनाते हुए सीधे ही विकय का अधिकार जनप्रतिनिधि को नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज भी न तो पट्टे की श्रेणी में आता है न ही बाजार दर पर खुली नीलामी प्रकिया द्वारा किसी प्रकार का विकय विलेख की प्रकिया के निष्पादन को परिपूर्ण करता है अर्थात् सम्पूर्ण तथाकथित पट्टा/विकय विलेख कार्यवाही प्रथमतः ही विधि शून्य होने से निष्प्रभावी है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जयबाई पत्नि स्व0 श्योराम मीना के हक में जारी किया गया तथाकथित पट्टा मिसल संख्या 5 निर्णय दिनांक 29.11.2010 निरस्त किया जाता हैं।निर्णय की प्रति खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडौली को पृथक से प्रेषित की जावे। फर्जी पट्टे प्रस्तुत करने वाले /भूखण्ड के फर्जी पट्टा धारक के खिलाफ प्रचलित विधियों के तहत् कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारी/पक्षकारान् स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:15:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner